

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-01/2015/..... /पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, सारण(छपरा),  
भागलपुर, पूर्णियाँ, सहरसा एवं मुंगेर।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर(आरा), बक्सर, रोहतास, गया,  
जहानाबाद, अरबल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, बेगुसराय, खगड़िया,  
भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा,  
मधुबनी, समसतीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली,  
सारण(छपरा), सिवान एवं गोपालगंज।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ  
क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए अतिरिक्त  
आवंटन के संबंध में । कुल आवंटित राशि रु0 44,20,140/- (चौवालीस लाख बीस हजार  
एक सौ चालीस) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-3429 दिनांक-  
01.04.2015 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2015-16 के  
लिए बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015 स्वीकृत हो चुका है।

2. उक्त पत्र के आलोक में 01 अप्रैल 2015 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में प्रावधानित  
राशि से गैर योजना मद में राशि आवंटित/व्यय किया जा सकता है।

3. कंडिका-3(2) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए  
राशि आवंटित की जाती है ।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा  
सांख्यिकी, लघु शीर्ष-204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के  
अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0- 35 एवं विपत्र कोड- N/3454022040002 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 48 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक  
(आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना, संबंधित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक  
(सां0) एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे ।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की  
संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी  
की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित

राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी । साथ ही वित्तीय वर्ष 2014-15 के दायित्वों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के आवंटन से किया जाय।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 3429 दिनांक 01.04.2015 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक ...../पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक 37...../पटना, दिनांक 16-03-2016.....

प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना

2. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी संगठन, 0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत  
 वित्तीय वर्ष 2015-16 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी। मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-N/3454022040002

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	01-01	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	योग-वेतन एवं भत्ते	06-01	11-01	13-01	13-02	13-03	13-04	13-05	13-06	14-01	28-01	कुल योग
	विन्ही आवंटन दिया जा रहा है।	वेतन	जीवन योग्य भत्ता	भुक्तान भत्ता	परिवहन भत्ता	विकिरता भत्ता	अन्य भत्ता		प्रतिपत्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	विधि प्रभार	पोशाक वर्दी/	फिराया महसूल एवं कर	व्यवसायिक एवं विशेष सेवारत	
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) कार्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	66000	-	300000	-	-	-	-	-	-	366000
3	मुंबईकरपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
4	गया	3232	4326	-	-	-	-	7558	-	-	-	34800	-	-	-	-	-	-	42358
5	दरभंगा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
6	सारण(छपरा)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
7	भागलपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
8	पुर्णिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
9	सहरसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	-	-	-	20000
10	मुंगेर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34800	-	-	-	-	-	-	34800
जिला सांख्यिकी कार्यालय																			
11	पटना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	-	-	-	-	-	-	50000
12	नालदा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36000	-	-	-	-	-	-	36000
13	भोजपुर(आरा)	-	60000	-	-	-	-	60000	-	-	-	15000	-	-	-	-	-	-	75000
14	बक्सर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
15	रोहतास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
16	कैमूर(भयुआ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
17	गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	-	-	-	-	-	-	50000
18	जहानाबाद	150000	200000	100000	-	-	-	360000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360000
19	अरवल	248000	73400	13500	-	-	-	334900	-	-	-	50000	-	-	-	-	-	-	384900
20	नवादा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40000	-	-	-	-	-	-	40000

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य भत्ता	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 शि० प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 तर्दी/ पोशाक	14-01 किराया महसूल एवं कर	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	औरंगाबाद	231045	363437	17733	-	3226	-	615441	-	-	-	40000	-	-	-	-	-	-	655441
22	मुंगेर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
23	लखीसराय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
24	जमुई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
25	शेखपुरा	70000	80000	-	-	1200	-	151200	-	-	-	50000	-	-	-	-	-	-	201200
26	बेगूसराय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	-	25000
27	खगड़िया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	-	-	-	-	20000
28	भागलपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60000	-	-	-	-	-	-	-	60000
29	बांका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	-	25000
30	पूर्णियाँ	24020	67760	901	-	2400	-	95081	-	-	-	40000	-	-	-	-	-	-	135081
31	अररिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30000	-	-	-	-	-	-	30000
32	किशनगंज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
33	कटिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
34	सहरसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	-	-	-	-	20000
35	सुपौल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
36	मधेपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	2000
37	दरभंगा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	-	-	-	-	-	-	50000
38	मधुबनी	441876	473844	50000	-	4000	-	969720	-	-	-	50000	-	-	-	-	-	-	1019720
39	समस्तीपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50000	-	-	-	-	-	-	50000
40	मुजफ्फरपुर	-	-	-	-	-	2640	2640	-	-	-	50000	-	-	-	-	-	-	52640
41	सीतामढ़ी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40000	-	-	-	-	-	-	40000
42	शिवहर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
43	पूर्वी चम्पारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40000	-	-	-	-	-	-	40000
44	प० चम्पारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40000	-	-	-	-	-	-	40000
45	वैशाली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	-	25000
46	सारण(छपरा)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30000	-	-	-	-	-	-	30000
47	सिवान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10000	-	-	-	-	-	-	10000
48	गोपालगंज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30000	-	-	-	-	-	-	30000
		1168173	1322767	92134	0	10826	2640	2596540	0	66000	0	1757600	0	0	0	0	0	0	4420140

(चौवालीस लाख बीस हजार एक सौ चालीस) रुपये मात्र।

5/12/2016  
निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

16/11/16